

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : गृह विभाग  
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2019  
उत्तर की तिथि : 08.03.2022  
विषय : स्थायी न्यायालय  
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू)  
सम्बन्धित मंत्री : मुख्यमंत्री

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	प्रदेश में जिला व सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायालय कितने हैं व कितने ऐसे हैं जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय नहीं हैं; और	(क) एवं (ख) से संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	क्या सरकार रोहडू में स्थायी जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?	

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू) द्वारा स्थायी न्यायालय की स्थापना बारे पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 जोकि उत्तर देने हेतु दिनांक 08.03.2022 को निश्चित हुआ है, का उत्तर:-

- (क) प्रदेश में जिला व सत्र न्यायाधीश के 17 व अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के 21 स्थायी न्यायालय हैं, जिन में से 04 अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ऐसे हैं जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय नहीं है।
- (ख) समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्राथमिकता के अनुसार न्यायालय स्थापित किए जाते हैं।

\*\*\*